दिनांक 23 दिसम्बर, 1994

क्रमांक 5819-ज-II-94/30673.—श्री रिसाल सिंह, पुत्र श्री रघुनाथ, निवासी गांव जय सिंह पुर, खेड़ा तहसील रिवाड़ी, (अब बावल) जिला महेन्द्रगढ़ (अब रिवाड़ी) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1992-ज-I-79/1975, दिनांक 9 जनवरी, 1980 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री रिसाल सिंह की दिनांक 9 दिसम्बर, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री रिसाल सिंह की विधवा श्रीमती सूरज बाई के नाम खरीफ, 1991 से 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 12 दिसम्बर, 1994

के० एल० बत्रा,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

10655CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.